



राष्ट्रीय सेवा योजना

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

पता- शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला- बलिया, उ. प्र., पिन कोड- 277301

मोबाइल फोन नंबर- 9452400911

ई-मेल आईडी.- nssjncu@gmail.com

पत्रांक- जे.एन.सी.यू./एन.एस.एस./234/2025-26

दिनांक- 26/03/2026

प्रेषक,

डॉ. कृष्ण कुमार सिंह,
कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।

सेवा में,

1. प्राचार्य/प्राचार्या, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित महाविद्यालय।
2. वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।

विषय- प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु बासन्तिक नवरात्र के पर्व पर "मिशन शक्ति" के विशेष अभियान फेज-05 के द्वितीय चरण का शुभारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य संपर्क अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या- 531/सत्तर-रा.से.यो.को.-2026, दिनांक 25-03-2026 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में की गई अपेक्षानुसार यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ की ई-मेल आईडी. nssjncu@gmail.com पर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-

1. शासन के पत्र की छायाप्रति।
2. शासन द्वारा निर्धारित उच्च शिक्षा विभाग की कार्ययोजना की छायाप्रति।

भवदीय

रिह

26/03/2026

डॉ. (कृष्ण कुमार सिंह),

कार्यक्रम समन्वयक,

राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव के माध्यम से माननीय कुलपति, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
2. कुलसचिव, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
3. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

भवदीय

कृष्ण

डॉ. (कृष्ण कुमार सिंह),

26/03/2026

कार्यक्रम समन्वयक,

राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ।

प्रेषक,

डॉ० मंजू सिंह,

विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य संपर्क अधिकारी,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त कार्यक्रम समन्वयक, एन०एन०एस० से संबंधित विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 2- उप शिक्षा निदेशक, एन०एन०एस० से संबंधित माध्यमिक मंडल, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त कार्यक्रम अधिकारी, स्ववित्तपोषित इकाई, उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग

लखनऊ: दिनांक 25 मार्च, 2026

विषय:-प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु वासन्तिक नवरात्र के पर्व पर "मिशन शक्ति" के विशेष अभियान फेज-05 के द्वितीय चरण का शुभारम्भ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग-3, 30प्र० शासन के पत्र संख्या-323/सतर-3-2026-1860229, दिनांक 25-03-2026 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में की गयी अपेक्षानुसार यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक की ई-मेल आईडी० upsno.luck@gmail.com के साथ-साथ उच्च शिक्षा अनुभाग-3, 30प्र० शासन के ई-मेल आईडी० hesession3@gmail.com को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीया,

(डॉ० मंजू सिंह),

विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य संपर्क अधिकारी।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, 30प्र० शासन।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
4. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(डॉ० मंजू सिंह)

विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

5. माध्यमिक शिक्षा विभाग-

- माध्यमिक विद्यालयों, जिला तथा मण्डल स्तर पर बालिकाओं को प्रमुख प्रशासनिक पदों पर 01 दिन आसीन करते हुए एक्सपोजर करना ।
- स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन, महिला स्वास्थ्य पर चर्चा, एन्सीनेटर व वेण्डिंग मशीन के प्रयोग की जानकारी प्रदान कराया जाना । 0
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, उज्वला योजना, वन स्टाप सेन्टर, पोषण योजना, पी0एम0 स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना, महिला ई-हाट योजना आदि के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान कराना ।
- आपातकालीन सहायता हेतु चाइल्ड हेल्पलाइन- 1098, महिला हेल्पलाइन- 181 / 1090, पुलिस कन्ट्रोल रूम- 112, एम्बुलेंस- 108, नजदीकी थाने के नम्बर की पूरी जानकारी सहित वॉल राइटिंग कराया जाना ।
- विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त स्थानीय महिलाओं को विद्यालय में आमंत्रित करना, पाक्सो एक्ट-2012, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम-2005 आदि कानूनों का जानकारी प्रदान किया जाना ।

6. उच्च शिक्षा-

- प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित काव्यपाठ, स्लोगन निर्माण, निबंध, गीत एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाना ।
- भारत की सशक्तिकरण की प्रतीक महिलाओं यथा- वीरांगनाएं, कवियत्रियाँ, स्वतन्त्रता सेनानी, उद्यमी एवं अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के जीवन चरित्र पर आधारित व्याख्यान का आयोजन किया जाना ।
- प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में माह में एक दिन स्वास्थ्य परीक्षण शिविर तथा मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित काउंसिलिंग की व्यवस्था किया जाना, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षक एवं काउंसलर का महिला होना आवश्यक है ।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के कैरियर एवं कौशल विकास हेतु समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाना, जिसके सदस्यों में महिला सदस्यों का बहुमत होना अनिवार्य है ।
- प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु वित्तीय साक्षरता के लिए संगोष्ठी / सेमिनार का आयोजन कराया जाना ।
- छात्राओं को सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाइडलाइन्स के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने सम्बन्धी अवांछनीय व्यवहारों के प्रति जागरूक करना:-
(क) शारीरिक सम्पर्क और प्रगति ।

- (ख) यौन सम्बन्धी मांग एवं अनुरोध ।
- (ग) यौन रंजित टिप्पणियाँ ।
- (घ) अश्लील साहित्य दिखाना ।
- (ङ) यौन प्रकृति का कोई अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक व्यवहार ।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एंटी रैगिंग महिला उत्पीड़न निवारण समितियों को सक्रिय बनाना तथा छात्राओं की समस्याओं का निराकरण करना।
 - भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर (112, 1090, 181 एवं 108) का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता शिविर का आयोजन करना।
 - प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में महाविद्यालय स्तर पर महिला हेल्प डेस्क का सक्रिय क्रियान्वयन किया जाना।
 - प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जाकर महिला स्वावलम्बन हेतु सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान किया जाना ।
 - प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्र-छात्राओं द्वारा (महाविद्यालय में संचालित एनएसएस, रोवर्स रेंजर्स यूनिटों को वरीयता दी जाये) विशेष ग्राम/मोहल्ला गोद लेकर मिशन शक्ति की गतिविधियों की पहुंच सुनिश्चित किया जाना।
 - प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण (जूडो कराटे, ताइक्वांडो आदि) का आयोजन किया जाना।
 - प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में डिजिटल साक्षरता तथा साइबर सुरक्षा संबंधी कार्यशाला आयोजित कराया जाना।
 - प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में साइबर सेल विधि विभाग जिला स्तरीय समितियों से समन्वय स्थापित कर वर्चुअल सेमिनार, वेबिनार व डिजिटल प्रतियोगिताओं द्वारा साइबर सुरक्षा, डिजिटल अरेस्ट व डिजिटल फ्रॉड के प्रति जागरूक किया जाना।
 - प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में मिशन शक्ति के अन्तर्गत आयोजित विशिष्ट व प्रेरक गतिविधियों को नियमित रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे - यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक एवं महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना ।

7. नगर विकास विभाग-

- महिला सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु सभी नगर निकायों में स्थापित की गई मिशन शक्ति हेल्प डेस्क के माध्यम से महिलाओं द्वारा की जा रही गृह टैक्स/सीवर टैक्स/जल टैक्स एवं सफाई से संबंधित समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया जाना। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाते हुए विद्यालय, महाविद्यालय, बाजार व सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी सुदृढ़